न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –37 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/42

1. हरगोविन्द आत्मज रामकल्याण जाति लुहार
2. गिरिराज आत्मज श्री रामकल्याण जाति लुहार
3. अनिता पुत्री रामकल्याण जाति लुहार
4. बृजेश पुत्री रामकल्याण जाति लुहार
   निवासीगण ग्राम पाटोन्दा, तहसील अन्ता जिला बारां, राजस्थान

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या –730 दिनांक 04.02.2015 ग्राम जाखोड़ा न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा

उपस्थितः–

1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–28.04.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जाखोड़ा में खातेदार गिरधारी फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खातेदार गिरधारी के फोती इन्तकाल नं0 730 दिनांक 4.4.2015 को दर्ज किया जिसमें गिरधारी जी के अन्य वारिसान के साथ साथ अपीलांट की माता व गिरधारी खातेदार की पुत्री संतप्यारी का नाम संतबिहारी दर्ज किया गया है ।

2. तहसीलदार लाडपुरा के उक्त नामान्तरकरण आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.03.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के पेश की है कि अपीलान्ट की माता संतप्यारी पुत्री गिरधारी लाल जाति लुहार निवासी ग्राम जाखोडा का दिनांक 28.3.2013 को स्वर्गवास हो गया है, अपीलान्ट की माता के पिता गिरधारीलाल जी के स्वर्गवास बाद तस्दीक इंतकाल ग्राम जाखोड़ा के खाता संख्या 55, पुराना 49 में त्रुटिपूर्ण रूप से संतबिहारी पुत्री गिरधारी दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की माता संतप्यारी पुत्री गिरधारी लाल जाति लुहार निवासी ग्राम जाखोडा का दिनांक 28.3.2013 को स्वर्गवास हो गया है, अपीलान्ट की माता के पिता गिरधारीलाल जी के स्वर्गवास बाद तस्दीक इंतकाल में ग्राम जाखोड़ा स्थित खाता संख्या 251 नया, पुराना–220 में अपीलान्ट की माता संतप्यारी पुत्री गिरधारी लाल दर्ज कर दिया व ग्राम जाखोड़ा में ही स्थित खाता संख्या नया 55, पुराना 49 में त्रुटिपूर्ण रूप से संतबिहारी पुत्री गिरधारी दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट द्वारा दिनांक 24.12.2024 को इंतकाल खोलने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने

जिला कलक्टर
कोटा

एवं प्रार्थना पत्र की जांच से हुई । तत्पश्चात नकल आवेदन कर दिनांक 6.2.2025 को नकल प्राप्त कर अपील जानकारी की दिनांक से अवधि मध्य प्रस्तुत है । अपीलांट की माता का नाम संतप्यारी है, सहवन से इंतकाल में संतबिहारी आलेखित हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश सपठित इंतकाल निरस्त कर अपीलान्ट की माता संत बिहारी के स्थान पर संतप्यारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में पूर्ण जांच उपरान्त नाम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 730 दिनांक 04.02.2015 के विरूद्व दिनांक 04.02.2015 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं अपील मे मेरिट का बिन्दु निहित होने से अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब इतने मायने नहीं रखता है । अतः मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है ।

7. अपीलान्ट का प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन है कि ग्राम जाखोड़ा में खातेदारी गिरधारीलाल जो अपीलांट के नाना थे, गिरधारीलाल के फोत होने पर ग्राम जाखोड़ा में तस्दीक इंतकाल खाता संख्या 251 नया, पुराना–220 में अपीलान्ट की माता संतप्यारी पुत्री गिरधारीलाल दर्ज कर दिया व ग्राम जाखोडा में ही स्थित खाता संख्या नया 55, पुराना 49 में त्रुटिपूर्ण रूप से संतबिहारी पुत्री गिरधारी दर्ज कर दिया । जबकि अपीलांट की माता का नाम संतप्यारी है संतबिहारी नहीं है । अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि में जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 251 नया, 220 पुराना की नकल प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलांटगण की माता संतप्यारी पुत्री गिरधारी हिस्सा 1/6 दर्ज रेकार्ड है । तथा ग्राम जाखोड़ा के ही अन्य खाता संख्या 55 में अपीलाधीन नामान्तरकरण से अपीलान्ट की माता का नाम शन्तबिहारी पुत्री गिरधारी हिस्सा /124 दर्ज रिकार्ड है जिससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि अपीलान्ट की माता का नाम संतप्यारी है, जिनका अपीलाधीन नामान्तरकरण में नाम दुरूस्त किया जाना चाहिए । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 730 दिनांक 04.02.2015 ग्राम जाखोड़ा में अपीलांट की माता रामप्यारी के नाम की जांच कर शुद्वि करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है । नामान्तकरण का शेष भाग यथावत रहेगा । तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि अपीलांट के नाम की जांच करते हुए एक माह के अन्दर अपना निर्णय पारित करें ।

9. निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा